No. 13

अपील रसद संख्या 136/2015(RCMS No. : 2015/00094) मैसर्स कृष्ण ऑयल स्टोर, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत ठण्डी, तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर –प्रो. कृष्ण कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.01.2020

अपीलार्थी मैसर्स कृष्ण ऑयल स्टोर, के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित नहीं हुए एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार उपस्थित हुए।

मैने पत्रावी का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 165/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2015 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 23.07.2015 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया है :

> मैसर्स किशन ऑयल स्टोर, एफपीएस डीजर ग्राम पंचायत ठण्डी, तहसील रायसिंहनगर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 एवं इस आदेश तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख 8,9 व 17(ग) की अवहेलना की है। अतः अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा जमाशुदा सम्पूर्ण राशि 1000/– (अखरे एक हजार रूपये) अमानत राशि जब्त सरकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया व पत्रावली बार तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति प्रवर्तन निरीक्षक एवं सम्बन्धित डीलर/लेखा शाखा को दी जावे। उपखण्ड अधिकारी (रसद) रायसिंहनगर को वैकल्पिक वितरण व्यवस्था सुनश्चित कर उचित कार्यवाही करें।
>
> -sd-
> जिला रसद अधिकारी
> श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अपील पत्र में यह प्रार्थना की है कि उसकी अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 165/2013 अनवान सरकार बनाम मैसर्स कृष्ण ऑयल निर्णय दिनांक 23.07.2014 को निरस्त किया जावे एवं उसका लाईसेंस बहाल किया जावे।

चूंकि अपीलार्थी/ उसका अधिवक्ता बार–बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उक्त अपील को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की इसी आधार पर खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज की जाति है। आदेश की प्रति मय उनका रिकार्ड जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर